Speed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. BO/1/2018/STGOR/DELAAL/RU-III **Date: 20.11.2019**

To,

The District – Collector,
District – Sundergarh,
Odisha

Sub: Minutes of sitting taken by Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 18.10.2019 in the matter of Representation of Shri Biswanath Oram, Jalda B Block, PO-Jalda C, Block, PS-Raghunathapali, District – Sundergarh (Odisha) regarding prayer for immediate restoration of land bearing Sabik Khata No. 110 of Mouza Mahulpali as per direction of court of O.S.D. (LR) Panposh.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Minutes of the sitting taken by Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 18.10.2019 at 03.00 p.m. for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within 15 days.

Encl: As above

Yours faithfully,

(R.K. Dubey)
Assistant Director

Copy for information:

1. Shri Biswanath Oram,
   Jalda B Block, PO-Jalda C,
   Block, PS-Raghunathapali,
   District – Sundergarh (Odisha)
2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- BO/1/2018/STGOR/DELAAL/RU-III)

श्री विश्वनाथ उरांव, जलदा बी ब्लॉक, पो. जलदा सी ब्लॉक, थाना- रघुनाथपल्ली, जिला- सुंदरगढ़ (ओडिशा) द्वारा अपने पैतृक जमीन, मौजा महुलपल्ली, साबिक खाता संख्या 110 पर ओएसडी कोर्ट (एलआर) पानपोश के निर्देशानुसार कब्जा दिलाने के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 18.10.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 18.10.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री विश्वनाथ उरांव, जलदा बी ब्लॉक, पो. जलदा सी ब्लॉक, थाना- रघुनाथपल्ली, जिला- सुंदरगढ़ (ओडिशा) द्वारा अपने पैतृक जमीन, मौजा महुलपल्ली, साबिक खाता संख्या 110 पर ओएसडी कोर्ट (एलआर) पानपोश के निर्देशानुसार कब्जा दिलाने के संबंध में आयोग को आवेदन दिया गया था।
2. प्रकरण में दिनांक 22.01.2019 को आयोग द्वारा बैठक आहूत की गई थी जिसमें आयोग द्वारा की गई अनुशंसा निम्नानुसार है :-
   - कोर्ट (ओएसडी,एलआर) के द्वारा दिनांक 31.07.2013 को अभ्यावेदक के पक्ष में निर्णय देते हुए दिनांक 02.09.2013 को तहसीलदार को आदेश जारी कर अभ्यावेदक को गैर अधिग्रहित जमीन 2.15 डिसमिल उपलब्ध कराई जाए, तथा
   - मामले में मुख्य सचिव, के लिए आयोग द्वारा अनुशंसा की जाती है कि कोर्ट (ओएसडी, एलआर) द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यावेदक को जमीन पर कब्जा दिलाया जाए और 15 दिन में अपने द्वारा कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराया जाए।
3. प्रकरण में जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 01.04.2019 को स्मरण पत्र जारी किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय के

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

निर्देशानुसार पुनः दिनांक 18.10.2019 को बैठक आहूत की गई इस संबंध में दिनांक 03.10.2019 को जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ को बैठक का नोटिस जारी किया गया।

4. बैठक में आयोग द्वारा पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। अभ्यावेदक श्री विश्वनाथ उरांव ने बताया कि उन्हें अभी तक प्रशासन के द्वारा कोर्ट (ओएसडी, एलआर) के निर्णय के अनुसार जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया है। प्रशासन के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। कई बार कार्यालय में बुलाया गया लेकिन अभी तक जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया है।
5. जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ ने बताया कि जल्द ही सर्वे कर गैर अधिग्रहित जमीन पर अभ्यावेदक को कब्जा दिलाया जाएगा। जिला प्रशासन को इसके लिए 15 दिन का समय दिया जाए।
6. अभ्यावेदक ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा पिछली बैठक में भी जमीन पर कब्जा दिलाने का आश्वासन दिया गया था।
7. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की-
    - कलेक्टर, सुंदरगढ़ द्वारा अभ्यावेदक को 15 दिन में कोर्ट (ओएसडी,एलआर) के निर्णय के अनुसार जमीन की माप कराकर वास्तविक कब्जा दिलाएं।

उपरोक्त अनुशंसा के अनुपालन में कार्यवृत्त प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराया जाए ।

18.11.019

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- BO/1/2018/STGOR/DELAAL/RU-III)

श्री विश्वनाथ उरांव, जलदा बी ब्लॉक, पो. जलदा सी ब्लॉक, थाना- रघुनाथपल्ली, जिला- सुंदरगढ़ (ओडिशा) द्वारा अपने पैतृक जमीन, मौजा महुलपल्ली, साबिक खाता संख्या 110 पर ओएसडी कोर्ट (एलआर) पानपोश के निर्देशानुसार कब्जा दिलाने के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 18.10.2019 को आयोग में आयोजित बैठक उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.)	डॉ. नंद कुमार साय,	माननीय अध्यक्ष
(2.)	श्री एस.के डामोर,	माननीय सदस्य
(3.)	श्री एस.के.रथ,	संयुक्त सचिव
(4.)	डॉ ललित लट्टा,	निदेशक
(5.)	श्री आर.के दुबे,	स. निदेशक
(6.)	श्री आलोक कुमार द्विवेदी,	परामर्शक

- **कलेक्टर कार्यालय, सुंदरगढ़ (ओडिशा)**

(1.)	श्री निखिल पवन कल्याण,	जिला कलेक्टर

- **अभ्यावेदक**

(1.) श्री विश्वनाथ उरांव